...रोड, बांसवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू–राजस्व अधिनियम

मु. नं. : 33/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04–08–2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी, राजकीय अधिवक्ता एवं श्री शाहमरदान खान के अधिवक्ता उपस्थित। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी सपठित धारा 151 पर बहस सुनी गई। पत्रावली उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन एवं बहस पर मनन करने पर निष्कर्ष स्वरुप इस स्तर पर श्री शाहमरदान खान पिता अफजल खान निवासी बांसला को पक्षकार के रुप में सम्मिलित किया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 खारिज किया जाता है। तत्पश्चात मूल प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली उसके संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी का बहस के दौरान मुख्य बिन्दु यह रहा है कि तहसीलदार की भूमिका संदेहास्पद होने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रभावित होने से अन्य सक्षम अधिकारी को अन्तरित किया जावे। चुकि तात्कालिक तहसीलदार बागीदौरा अब सेवानिवृत्त हो चुके है। इस प्रकार प्रार्थी की मुख्य आपत्ति स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। अतः तहसीलदार बागीदौरा में विचाराधीन प्रकरण सं. 1/ 09.01.2023 अन्तर्गत धारा 135(2) भूराजस्व अधिनियम 1956 अन्तरित किया जाना उचित प्रतित नही होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भूराजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (प्रकाश चन्द्र शर्मा) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:53:51 IST
Reason: SelfAttested